



**छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, रायपुर**

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

क्रमांक एफ 20-87 / 2012 / ग्यारह / (छैः), राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012" घोषित करता है। यह नीति 1 नवंबर, 2012 से पांच वर्ष अर्थात् 31 अक्टूबर, 2017 तक लागू रहेगी।

उपरोक्त के साथ ही इस नीति का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया जा रहा है। किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में जारी मूलनीति अंतिम मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

—हस्ता—

(दिनेश श्रीवास्तव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग





छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, रायपुर

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

क्रमांक एफ 20-87 / 2012 / ग्यारह / (छै:), राज्य में डाऊनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को गति देने तथा राज्य के मूल्यवान प्राकृतिक कृषि एवं खाद्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने के लिए राज्य शासन एतद् द्वारा "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" घोषित करता है।

(1) प्रस्तावना

- 1.1** भारत के तेजी से बढ़ने वाले उदीयमान राज्यों में सम्मिलित "छत्तीसगढ़ राज्य" प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। राज्य में कृषि निरा फसली क्षेत्र 47.70 लाख हेक्टेयर है। राज्य में कुल 32.55 लाख कृषक परिवार है तथा राज्य गठन के पश्चात से अनाज, दलहन, तिलहन, आदि के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010-11 में चावल का उत्पादन 61.59 लाख मैट्रिक टन व अन्य अनाज (मक्का एवं गेहूँ) 3.12 लाख टन, दलहन 5.35 लाख टन एवं तिलहन 2.13 लाख टन रहा है। इसके अतिरिक्त फल एवं सब्जियों में मुख्यतः टमाटर, पपीता, मिर्च, काजू आदि का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है।
- 1.2** राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.59 प्रतिशत निरा फसली कृषि क्षेत्र है। राज्य गठन के पश्चात कृषि पर आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में परंपरागत उद्योगों का विकास हुआ है। राज्य में कृषि फसलों, दलहन, तिलहन, फल एवं सब्जियों, के उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कृषि पर आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में नियोजित एवं संतुलित विकास की आवश्यकता है।
- 1.3** राज्य का भारत के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी छोर पर महत्वपूर्ण शहरों एवं केन्द्रों से समान दूरी पर होना एक लाभदायी भौगोलिक स्थिति है, जिसके कारण राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादों का विपणन राज्य के समीपवर्ती राज्यों उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में सुगमता से संभव है।

- 1.4 राज्य गठन के पश्चात औद्योगिक विकास मुख्यतः कोर सेक्टर में हुआ है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मूल्य संवर्धन तीव्र गति से हो, ताकि यह राज्य की आर्थिक व्यवस्था एवं रोजगार का प्रमुख आधार स्तम्भ बने।
- 1.5 यद्यपि राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2009–14 में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले “स्व-चालित कृषि यंत्र” एवं “ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स”, सेरीकल्चर, हार्टीकल्चर, बॉयों फर्टिलाईजर, फलोरीकल्चर, पिसीकल्चर तथा भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योगों (राईस मिल को छोड़कर) को प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में सूचीबद्ध किया गया है तथापि अन्य राज्यों की तुलना में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने एवं राज्य को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अग्रणी बनाने के लिये पृथक “कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति” की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 तैयार की गई है। इस नीति के क्रियान्वयन से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण विकास होगा, राज्य के कृषकों की आय में वृद्धि होगी, रोजगार एवं स्व-रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे तथा राज्य समृद्धशाली होगा।

(2) उद्देश्य

- 2.1 राज्य के कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- 2.2 कृषि उत्पादों, फल एवं सब्जियों तथा दलहन एवं तिलहन का राज्य में मूल्य संवर्धन करना।
- 2.3 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करना।
- 2.4 राज्य में कृषि उत्पाद, दलहन एवं तिलहन, फल एवं सब्जियों आदि के भण्डारण को सुरक्षित बनाना।
- 2.5 राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना।
- 2.6 राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी लाना एवं विपणन को सुगम बनाना।
- 2.7 राज्य की जनता को उत्तम गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
- 2.8 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास कर राज्य के कृषकों को “धान” के विकल्प के रूप में फल एवं सब्जियों तथा अन्य नगदी उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करना।

(3) विस्तार एवं प्रभावशीलता

“कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012” सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में यह नीति 1 नवंबर, 2012 से पांच वर्ष अर्थात् 31 अक्टूबर, 2017 तक लागू रहेगी।

(4) परिभाषाएं

- 4.1 “नवीन उद्योग” से आशय ऐसे उद्योग से है, जिसके द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति ई.एम. पार्ट-1 / आई.ई.एम. / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र धारित करता हो एवं प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रूपये 1.00 करोड़ का पूंजी निवेश किया हो या किया जाना प्रस्तावित हो एवं रूपये 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया हो।
- 4.2 इस नीति के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय / शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र एवं अन्य परिभाषाएं वहीं होंगी, जो तत्समय लागू राज्य शासन की औद्योगिक नीति में अधिसूचित की गई हो।
- 4.3 स्थायी पूंजी निवेश एवं उसके अंतर्गत भूमि, भवन, फैक्ट्री-शेड, प्लांट मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर निवेश आदि की वही परिभाषाएं लागू होंगी, जो तत्समय लागू औद्योगिक नीति में परिभाषित हों।
- 4.4 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत जो शब्दावली इस नीति में परिभाषित नहीं है तथा औद्योगिक नीति 2009-14 में भी परिभाषित नहीं है, ऐसी स्थिति में इस नीति के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी एवं प्रचलित परिभाषाएं लागू होंगी।

(5) रणनीति

- 5.1 राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप समूह आधारित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना।
- 5.2 खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- 5.3 खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत तकनीकी क्षेत्र में स्नातक एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किये जाएंगे तथा राष्ट्रीय सेमीनार / वर्कशाप एवं मेलों के आयोजन में राज्य के उद्योगों की सहभागिता की जावेगी।
- 5.4 फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना की जावेगी।
- 5.5 राज्य में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु क्लस्टर एप्रोच अपनाई जायेगी।
- 5.6 उन्नत बीज तथा पौधों की उपलब्धता को सुगम बनाना।
- 5.7 उद्यानिकी फसलों का कृषकों को उचित मूल्य दिलाने के लिये शीतगृह श्रृंखला एवं भंडारगृह की जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापना सुनिश्चित करना।

- 5.8 उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की सुनिश्चितता के लिये उन्नत सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना ।
- 5.9 उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने वैज्ञानिक विधियों के उपयोग के लिये किसानों को सघन प्रशिक्षण देना ।

(6) कार्य नीति

- 6.1 छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा आधिक्य वाला राज्य है । इसके कारण "खाद्य प्रसंस्करण हेतु स्थापित होने वाली इकाईयों को राज्य में निर्बाध, गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी । इन इकाईयों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी ।"
- 6.2 भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाओं का लाभ राज्य को प्रभावी ढंग से देने हेतु राज्य मिशन संचालक कार्यालय (नोडल एजेन्सी) को प्रभावी बनाया जाएगा ।
- 6.3 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना में राज्य शासन के अंश का बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा ।
- 6.4 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य की बुनियादी अधोसंरचना एवं औद्योगिक अधोसंरचना का लाभ इस क्षेत्र के उद्योगों को दिया जाएगा ।
- 6.5 खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रांतर्गत आने वाले उद्योगों की श्रेणी में आने वाले उद्योगों के मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाईल जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(7) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी योजना "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" की निम्नानुसार योजनाओं का लाभ राज्य के उद्योगों, कृषकों, नवयुवकों को दिलाने हेतु सहयोग एवं समन्वय किया जाएगा :-

1. नवीन उद्योगों की स्थापना, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण ।
2. शीतगृह श्रृंखला, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण, गैर उद्यानिकी उत्पादों हेतु अधोसंरचना का निर्माण ।
3. मानव संसाधनों का विकास (एच.आर.डी.) ।

4. उन्नतिवर्धक योजनाएँ जैसे वर्कशॉप, मेलों का आयोजन, शैक्षणिक सर्वे व सेमीनार आदि का आयोजन

(8) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्रता की शर्तें—

- 8.1** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान/छूट/रियायतें उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होगी, जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करें।
- 8.2** परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों का पालन करना होगा।
- 8.3** संयंत्र एवं मशीनरी मद में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश रूपये 1.00 करोड़ करना होगा।
- 8.4** उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./आई.ई.एम./ई.एम. पार्ट-1 जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर करना होगा। समयावधि में वृद्धि हेतु उठाये गये प्रभावी कदमों की समीक्षा की जा सकेगी। रूपये 100 करोड़ से अधिक निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. करना अनिवार्य होगा।

(9) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन :-

- 9.1** इस नीति के अंतर्गत परिशिष्ट-एक, अपात्र उद्योगों की सूची में शामिल उद्योगों को इस नीति में अधिसूचित कोई अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त नहीं होंगी।
- 9.2** इस नीति में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन निम्नांकित उद्योगों के मामलों में लागू होंगे :-
- (1) नवीन उद्योगों की स्थापना।
 - (2) विद्यमान उद्योगों का विस्तार
- 9.3** “कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012” में वे उद्योग शामिल होंगे, जिनके द्वारा खाद्य एवं कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-एक को छोड़कर) में नवीन इकाई की स्थापना करें/विस्तार योजना के अंतर्गत विस्तार करें एवं इस हेतु न्यूनतम रू.1.00 (एक) करोड़ का निवेश स्थायी पूंजी निवेश संयंत्र एवं मशीनरी मद में करें।

9.4 अनुदान, छूट एवं रियायतें –

इन उद्योगों को भारत शासन द्वारा घोषित सुविधाओं के अलावा तालिका में दर्शित निम्नानुसार अतिरिक्त विशेष सुविधाएं प्रदान की जावेंगी :-

क्र.	अनुदान / छूट	संक्षिप्त विवरण / अवधि / मात्रा
1.	मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रयकर में रियायत प्रतिपूर्ति	<p>स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 10 वर्ष, जो पूर्व अवसान हो, तक।</p> <p>यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रयकर के समतुल्य राशि होगी। यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी।</p> <p>इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अंतर्गत यह “प्रोत्साहन सहायता” प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले।</p> <p>सहायता राशि की गणना निर्मित माल के विक्रय पर देय वेट कर तथा निर्मित माल के अंतर्राज्यीय विक्रय कर पर देय केन्द्रीय विक्रयकर के आधार पर किया जाना चाहिए।</p>
2	प्रवेश कर	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से शत प्रतिशत छूट 7 वर्ष की अवधि हेतु।
3	विद्युत शुल्क छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष हेतु शत प्रतिशत छूट।
4	मंडी शुल्क छूट	कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की मंडियों से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।

5	संविदा खेती (Contract Farming) पर सुविधा	प्रदेश में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम –1972 के प्रावधान लागू किये गये हैं। इसके सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत मंडी द्वारा विक्रेता (उत्पादक) एवं क्रेता के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध किया जावेगा एवं इसके माध्यम से संविदा खेती (Contract Farming) करायी जावेगी एवं दोनों पक्षों के हितों का संरक्षण किया जावेगा।
6	एकल लायसेंस प्रणाली	एकल लायसेंस के आधार पर पूरे प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय कर सकते हैं।
7	कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ	प्रोसेसिंग इकाई से जुड़े उत्पादक कृषकों को योजनाओं का लाभ दिया जावेगा। उत्पादक कृषकों को विद्युत लाईन विस्तार अनुदान, नलकूप पर अनुदान, पम्प प्रतिस्थापन पर अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, रियायती दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।
8	एन.एच.एम., आर.के.व्ही. वाय. आदि के अनुरूप सुविधाएँ	एन.एच.एम., आर.के.व्ही.वाय. अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार प्रोसेसर्स को भी अधोसंरचना के लिए आवश्यक सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा। जैसे-कोल्ड स्टोरेज, शीतगृह श्रृंखला, पैकेजिंग हाउस, नेटशैड, ग्रीन हाउस, रायपनिंग चेंबर आदि।
9		“कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012” में उल्लेखित उपरोक्त अनुदान, छूट एवं रियायतों के अतिरिक्त यथासमय लागू राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान छूट एवं रियायतें जैसे – ब्याज अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत, स्टॉम्प शुल्क छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू आबंटन सेवा शुल्क से छूट, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान एवं औद्योगिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत नियमानुसार पात्रता रहेगी।

टीप :-(1) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा अनुदान, छूट एवं रियायत, जो भारत सरकार एवं राज्य शासन दोनों ही द्वारा घोषित हो, उसका लाभ लेने के लिये इकाई के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा कि किसी एक स्रोत से ही अनुदान, छूट एवं रियायत प्राप्त कर सकेगी।

(2) इकाई द्वारा तीन वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाने पर स्टाम्प शुल्क छूट निरस्त की जा सकेगी।

- 9.5 वर्तमान में राज्य में औद्योगिक नीति 2009–14 लागू है, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औद्योगिक नीति के संदर्भ में दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक नीति 2009–14 में प्राथमिकता उद्योगों हेतु निर्धारित दर एवं अधिकतम सीमा के अधीन प्राप्त होंगे ।
10. इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु दिये जाने वाले अनुदान/छूट/रियायतों का लाभ पात्र उद्योगों को देने के लिए अधिसूचनाएं जारी की जावेंगी, तथा सुसंगत कानूनों के तहत प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जावेंगे ।
11. इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस नीति के प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश करने अथवा संशोधन करने हेतु विधिवत कार्यवाही कर सकें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार
—हस्ता—
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट-एक
अपात्र उद्योगों की सूची

- 1 राईस मिल
- 2 पैडी परबायलिंग एवं क्लनिंग
- 3 पोहा एवं मुरमुरा
- 4 हालर मिल
- 5 पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना
- 6 मिनरल वाटर
- 7 सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स,
- 8 एल्कोहल ड्रिंक
- 9 भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम
- 10 ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं

—हस्ता—
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

